संख्या /13–XIX–2/40 खाद्य/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी ,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 जुलाई, 2013

विषयः भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अध्यादेश संख्या 25 शुक्रवार जुलाई, 05 2013 आषाढ़ 14, 1935 (शक) दिनांक 05.07.2013 "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" का राज्य में कियान्वयन एवं उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय श्रेणी के राशनकार्ड धारकों एवं उचित दर विकेताओं के सम्बन्ध में समस्त प्रचलित शासनादेशों का अध्यादेश के लागू होने के पश्चात स्वतः विलोपन किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार का राजपत्र सं0 25, शुक्रवार जुलाई, 05 2013 आषाढ़ 14, 1935 (शक) के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर किये गये सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयों के आधार पर भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र की 43,61,000 आबादी तथा शहरी क्षेत्र की 16,76,000 आबादी कुल 60,37,000 आबादी को सम्मिलित किया है को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति (02 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 3 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से निम्नानुसार मानक/प्रकिया के तहत राज्य में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" के कियान्वयन एवं उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय श्रेणी के राशनकार्ड धारकों एवं उचित दर विकेताओं के सम्बन्ध मे प्रचलित समस्त शासनादेशों का उक्त अध्यादेश के लागू होने के पश्चात स्वतः निष्प्रोज्य किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध प्रत्येक अन्त्योदय श्रेणी एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को निहित प्राविधानों के अनुसार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (15 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 20 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) की दर से प्रतिमाह प्रति परिवार मुहैया कराया जाना सुनिश्चित करें तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारक को प्रतिव्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 3 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2 पर

2– ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" के तहत अनुमन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिये तत्काल निम्न उल्लिखित मानकों एवं प्रकिया के तहत पात्र परिवारों का वास्तविक चिन्हिकरण करते हुये पात्र परिवारों की वास्तविक पात्रता सूची शासनादेश लागू होने की तिथि से 01 माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

पात्रता के मानक

1– राशन कार्ड सर्वप्रथम परिवार की 18 वर्ष से ऊपर की आयु की वरिष्ठतम् महिला के नाम बनाया जायेगा।

2– वर्तमान समस्त अन्त्योदय राशन कार्ड धारक।

3– वर्तमान समस्त बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारक।

4– आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार।

5– ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

6– ऐसा परिवार जिसका संचालन के तौर पर मुखिया असाध्य रोगों (कुष्ठ, एच0आई0वी0) से पीड़ित व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

7– ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति करता हो तथा तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

8– ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला व्यक्ति कर रहा हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

9– ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम हो अथवा 1 हैक्टेयर सिंचित तथा 2 हैक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो।

10– ऐसे व्यक्ति जो रिक्शाचालन, कुली, मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो।

11– ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि पर खेत जोतता हो।

12– शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो।

13– ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर की देयता न बनती हो।

14– ऐसे सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी मासिक आय रू0 15000 से अधिक न हो।

क्रमशः...3 पर

15– राज्य में ऐसे संचालित संगठन अथवा आश्रम में निवासित ऐसे व्यक्ति जो बेघर हो तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर उक्त संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, विकलांगो का आश्रम एवं वृद्धाश्रम।

भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये निर्धारित पात्र प्राथमिक परिवारो के लक्ष्य को पूरा करने के लिये उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त कमांक से आरोही कम में लिया जाना तथा शहरी क्षेत्र के लिये ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रू0 15000.00 से अधिक न हो को निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत लिया जायेगा।

<u>प्रकिया</u>

रू0 15,000 मासिक आय के प्रमाण पत्र के विषय में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिये नायब तहसीलदार से अन्यून राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा।

पात्र परिवारों की सूची को ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत की खुली बैठक जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी की उपस्थिति में प्रसारित कर तत्काल निरतारित की जोयगी तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट्ट पर पात्र परिवारों की सूची को चस्पा कर एक सप्ताह के भीतर आपत्ति प्राप्त कर सूची का निस्तारण किया जायेगा, निस्तारण की कार्यवाही के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व रहेगा।

इस अध्यादेश के राज्य में लागू होने की तिथि को जनशिकायत निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद हेतु एक जिला जनशिकायत निस्तारण अधिकारी तथा उनके कार्यालय की स्थापना करनी होगी तथा राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करनी होगी, इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियॉ, कॉल सेन्टर, टॉल फ्री नम्बर आदि भी स्थापित करने होंगे। इस जनशिकायत निस्तारण हेतु संस्थाओं का ढांचा एवं प्रस्ताव हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3– इसके अतिरिक्त यदि अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों की संख्या–07 से अधिक हो तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से खाद्यान्न वितरित कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 4 पर

अतः उपरोक्त "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" में निहित प्राविधानों के अनुसार पात्र परिवारों को बिन्दु सं0 01 एंव 03 के अनुसार समय से खाद्यान्न का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा बिन्दु सं0 02 पर उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के कम में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये दी गयी निश्चित अवधि में प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या 361 /13-XIX-2/40 खाद्य/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2- सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
3- निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5- सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 26.06.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
6- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय टॉवर, माजरा, देहरादून।
7- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8- अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9- मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
13- वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
14- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
16- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
17- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन),
अपर सचिव।